"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जनवरी 2007—पौष 13, शक 1928

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-1/2007/12.— मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग (नैसर्गिक संसाधन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 87 दिनांक 28 दिसम्बर, 1956 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को उनके जिले के क्षेत्र में आने वाले खनिज रियायतों के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनिपट्टा मंजूरी के आवेदन या नवीनीकरण के आवेदनों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया था.

2. राज्य शासन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 9 के उपनियम (1) तथा नियम 22 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-एक में उल्लिखित खनिजों हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनिपट्टा स्वीकृति के आवेदन या नवीनीकरण के आवेदनों को प्राप्त करने के लिए एतद्द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्राधिकृत करता है.

3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-एक के खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों हेतु खनिज रियायतों के आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था यथावत् जारी रहेगी.

4. यह अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2007 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.